निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 123 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** के माह 12/2014 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव एवं श्री अमित टण्डन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/03/2017 से 25/03/2017 तक श्री वी.एस.पवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री जयंत प्रकाश, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24-12-2014 से 29-12-2014 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2010 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **जमरानी बांध निर्माण खण्ड-II, हल्द्वानी के द्वारा वर्तमान में गोला सिंचाई कालोनी, दमुवांढुंगा के रखरखाव, गेज एवं डिस्चार्ज साइटों (जमरानी बांध स्थल) का रखरखाव एवं से.जे. रोड के अनुरक्षण का कार्य किया जाता है।**

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(☐ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन ` लाख में	व्यय ` लाख में	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-		208.06	196.91	30.00	30.00		
2014-15	-		257.03	230.18	370.65	270.57		
2015-16	-		298.85	255.11	478.51	187.33		
2016-17 (02/2017 तक)	-		305.03	250.75	-	258.48		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ☐	प्राप्त ☐	व्यय आधिक्य (+) ☐	बचत (-) ☐
शून्य					

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन

2. प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून

3. मुख्य अभियंता (स्तर-I), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

4. अधीक्षण अभियंता, परियोजना मण्डल, जमरानी, हल्द्वानी

5. अधिशासी अभियंता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी

6. सहा. अभियन्ता –I/II/III/IV ज.बा.नि. खण्ड-2, हल्द्वानी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2015 एवं 05/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। रा..इ.का. खनस्यू बालिका छात्रावास का निर्माण (ओखलकाण्डा) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ....के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक........ से ....का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 02/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` शून्य

भाग द्वितीय ` 27,075.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 02/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 629069.94

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप ` 1,91,80,085.00

ङ भण्डार (09/2016) ` 43,255.50

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः1- बालिका छात्रावास बाजपुर, उधमसिंह नगर निर्माण की तकनीकी जांच/परीक्षण में इंगित कमियों के निराकरण की पुष्टि न होना।

राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विकास खण्ड बाजपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज बाजपुर में 100 छात्राओं के आवास हेतु निर्माण की तकनीकी स्वीकृति, अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मण्डल, हल्द्वानी द्वारा ☐ 184.49 लाख की प्राकलित लागत पर दिनांक 16/07/013 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह कार्य उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा वित्त पोषित-डिपोजित कार्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-II/III हल्द्वानी द्वारा निष्पादित किया जाना था।

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद (ग्राहक विभाग) व अधिशासी अभियन्ता जमरानी बांध निर्माण खण्ड-3, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (निर्माण एजेन्सी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित था जिसके प्रस्तर-14 में उल्लेखित था कि "निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्यों की समस्त सामग्री तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान और निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखाई दे तो निर्माण एजेन्सी द्वारा अभियुक्तियों/रिपोर्टों को सुधारने के तथा 1 माह अवधि के अन्दर अनुपालन के लिए बाध्यकारी होगी"।

कार्य से संबंधित अभिलेखों की छानबीन में देखा गया कि कार्य का अनुबंध अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ठेकेदार "M/s S.K.T. Buildon Pvt Ltd Kashipur" के साथ ☐ 169.47 लाख पर गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ व समापन तिथियां क्रमशः 01/09/2013 व 31/08/2014 थी लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्य को निर्धारित तिथि में ही पूर्ण दर्शाने के बाद भी अंतिम भुगतान 19/01/2017 को विलम्बतः किया गया। जिसके संबंध में अवगत कराया गया कि लोकार्पण 16/12/2016 को होने के बाद भुगतान किया गया। इस प्रकार जहां एक ओर कार्य को पूर्ण दर्शाने के बाद भी कार्य हस्तान्तरण में 1 वर्ष 6 महीने से भी अधिक का विलम्ब था वही लेखा अभिलेखों की छानबीन में यह भी देखा गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2015 के द्वारा खण्ड को प्रेषित निरीक्षण/परियोजना की तकनीकी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत कार्य में Break work, Reinforced Cement Concrete (RCC), Ply board, paint आदि उचित गुणवत्ता के नहीं पाये गये।

लेखा परीक्षा में उपरोक्त बिन्दुओं को इंगित किये जाने व कमियों को पूर्ण किये जाने का प्रकरण उठाये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया कि थर्डपार्टी की संस्तुति के आधार पर ☐ 51,535 की Penalty लगाई गई थी जिसे लेखाशीर्षक "0701,03,150,04,00,00" में जमा किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि तकनीकी जांच में इंगित कमियों के समाधान हेतु कृत कार्यवाही का साक्ष्य लेखापरीक्षा/अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

अतः सक्षम अधिकारी द्वारा कृत कार्य का समापन कार्य हेतु निर्धारित drawing and design के अनुसार होने व तकनीकी जांच में इंगित बिन्दुओं के निराकरण होने/कार्य पर विपरीत प्रभाव न होने की पुष्टि लेखापरीक्षा को उपलब्ध होने तक प्रकरण सम्प्रेक्षा आपत्तिधीन रहेगा।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
155/1993-1994	-		1	1
40/1995-96	-		1,2	2
72/2014-15	-		1	1

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record. ***Para No.1 and 3 of IR No.80/2015-16 were settled by the office of Accountant General (Audit), Uttarakhand, Dehradun.***

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) बोलेरो जीप सं. UA 04 E 5938 की लागबुक

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(1)	श्री पी.सी. मेलकानी	अधिशासी अभियंता	19/11/14 से 17/04/15
(2)	श्री संजय शुक्ल	अधिशासी अभियंता	18/04/15 से 30/06/15
(3)	श्री पी.एस. चम्याल	अधिशासी अभियंता	01/07/15 से 31/01/16
(4)	श्री मो.जावेद अनवर	अधिशासी अभियंता	01/02/16 से 06/09/16
(5)	श्री उमेश चन्द्र पाटनी	अधिशासी अभियंता	07/09/16 से अब तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री चन्द्र दर्शन पाण्डे	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	01/07/13 से 30/06/15
2.	श्री बटोरन शाह	खंडीय लेखाधिकारी	30/06/15 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-2) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2